

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक :

529

प्रकरण दर्ज दिनांक-

आवेदक :

श्री अमित गुप्ता

CGRERA-P- M-PRo-2019-00997

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

20/08/2019

आवेदक/शिकायतकर्ता-श्री अमित गुप्ता, पिता-श्री अशोक गुप्ता, पता-श्री अशीष गुप्ता गोलछा, इन्क्लेव फ्लैट नं.-506, मारुति रेसीडेन्सी के पास, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 31 के अधीन परिवाद-पत्र निर्धारित प्ररूप-M में प्रत्यर्था/प्रमोटर.-मेसर्स गोल्ड ब्रिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., पता-आनंदम वर्ल्ड सिटी, खम्हारडीह, कचना रोड, जी.ए.डी कॉलोनी के पास, रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत आवेदन के साथ संलग्नक:- (01) विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति, (02) भुगतान की गई रसीद की छायाप्रति आदि भू-संपदा नियम 36 के उपनियम (1) के अनुसार शुल्क राशि 1000.00 दिनांक 17.07.2019 को जमा कर जमापर्ची की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

शिकायत का अवलोकन किया गया। छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के नियम 2017 की धारा 35(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। अनावेदक को जवाब प्रस्तुत करने सूचना-पत्र जारी हो। अनावेदक से निम्नानुसार जानकारियां भी प्राप्त की जावे :- (01) शिकायतकर्ता के साथ संपादित एग्रीमेंट की प्रति, (02) शिकायतकर्ता से प्राप्त किए गए राशि का तिथिवार विवरण, (03) शिकायतकर्ता को पूर्णरूप से तैयार फ्लैट का आधिपत्य सौंपने की मय दस्तावेज जानकारी, (04) नगर निवेश की निर्माण अनुमति, (05) नगरीय निकाय का विकास अनुज्ञा, (06) भूमि डायवर्सन संबंधी दस्तावेज, (07) रेरा अंतर्गत संबंधित प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की स्थिति,

आवेदक/शिकायतकर्ता को भी सुनवाई हेतु सूचना-पत्र की प्रति भेजकर उपस्थिति हेतु सूचित किया जावे।

प्रकरण में अनावेदक के जवाब एवं अन्य जानकारी हेतु दिनांक 7/9/2019 को समय 11:00 बजे प्रस्तुत किया जावे।

Guan
(विवेक ढाँड)

अध्यक्ष

21/9/19

- 1) Case taken today. Affli cant- himself. Resp then learned case then sheshwat suran.
- 2) Bm falls state that- the matter has been amicably settled. Affli cant- has received his money back. He does not want to press the case
- 3) Case be closed and sent to the record room

Amirul Haque
Sheshwat
07/09/19

